


भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 18] नई दिल्ली, शनिवार, मई 2, 1970/वैशाख 12, 1892

No. 18] NEW DELHI, SATURDAY, MAY 2, 1970/VAISAKHA 12, 1892

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य-क्षेत्रों के प्रशासकों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये विधि के अन्तर्गत बनाये और जारी किये गये साधारण नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं) ।

General Statutory Rules (including orders, bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories).

MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT

(Transport Wing)

Merchant Shipping

New Delhi, the 26th March 1970

G.S.R. 667.—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 95 of the Merchant Shipping Act, 1958 (44 of 1958), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Indian Merchant Shipping (Seamen's Employment Office, Calcutta) Rules, 1954, namely:—

1. (1) These rules may be called the Indian Merchant (Seamen's Employment Office, Calcutta) Amendment Rules, 1970.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

MINISTRY OF INFORMATION & BROADCASTING

New Delhi, the 30th March 1970

G. S. R. 670.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the All India Radio (Class III posts) Recruitment Rules, 1964, published with the notification of the Government of India in the Ministry of Information and Broadcasting No. GSR 1776, dated the 30th November, 1964 namely:—

1. (1) These rules may be called the All India Radio (Class III posts) Recruitment (3rd Amendment) Rules 1970.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Schedule to the All India Radio (Class III posts) Recruitment Rules, 1964, after serial No. 64 and the entries relating thereto, the following shall be inserted, namely:—

Sl. No.	Name of the post	Particulars of the posts Classification character and status of the post	Scale of the post	Methods of recruitment and percentage of vacancies to be filled up by			
				Direct recruitment	Promotion		Transfer
					Selection	Seniority/fitness.	
65	Diesel Mechanic	General Central Services Class III (Non-Gazetted) Non-Ministerial.	Rs. 150—5— 175—6—205 EB—7—240.	..	Selection	100% by promotion failing which by direct recruitment.	..
66	Diesel Engine Driver.	General Central Service Class III (Non-Gazetted, Non-Ministerial)	Rs. 125—3— 131—4—155.	100% direct

Qualification for direct recruitment		Period of probation	Qualifications etc. for recruitment by promotion/transfer.	
Age limit	Educational and other qualifications required		Whether age and educational qualifications for direct recruitment will apply in case of recruitment by promotion/transfer.	Grades/Sources from which promotion/transfer is to be made.
9	10	11	12	13
Below 27 years.	<p>A National Trade certificate issued by the National Council for Training in Vocational Trades (Min. of Labour, Employment & Rehabilitation) in the trade of Mechanic (Internal Combustion Engines)</p> <p>OR</p> <p>A trade certificate in Craftsmanship awarded by Directorate General, Employment & Training in the Trade of Mechanic (Internal Combustion Engines)</p> <p>OR</p> <p>Six years experience in the operation and maintenance of Diesel Engines in a reputable factory, workshop or generating Station, duly supported by a certificate.</p>	2 years	..	From amongst Engine Drivers with three years service.
Below 27 years.	<p>A National Trade certificate issued by the National Council for training in Vocational Trades (Ministry of Labour, Employment & Rehabilitation) in the trade of Mechanic (Internal Combustion Engines)</p> <p>OR</p> <p>A trade certificate in craftsmanship</p>	2 years	..	From amongst Diesel Engine Drivers with three years service.

1 2 3 4 5 6 7 8

awarded by Directorate General, Employment and Training or by a State Government Institution covering the relevant course prescribed by Directorate General, Employment and Training in the Trade of Mechanic (Internal Combustion Engines).

OR

Three years experience in the operation and maintenance of Diesel Engines in a reputable factory, workshop or generating Station, duly supported by a certificate.

[No. 16/20/69-B(D).]

C. B. GIRIDHAR, Under Secy.

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली, 30 मार्च, 1970

जी० एस्० आर० 670.—संविधान के अनुच्छेद 309 के उपबन्ध द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए चाण्द्रपति भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय की अधिसूचना संख्या जी० एस्० आर० 1776 तारीख 20 नवम्बर 1964 में प्रकाशित आकाशवाणी (तृतीय श्रेणी पद) भर्ती नियम 1964 में अतिरिक्त संशोधन करने के लिये एतद्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं :-

1. (1) इन नियमों को आकाशवाणी (तृतीय श्रेणी पद) भर्ती (तृतीय संशोधन) नियमावली, 1970 कहा जा सकेगा।
- (2) ये नियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. आकाशवाणी (तृतीय श्रेणी पद) भर्ती नियमावली 1964 के परिशिष्ट में क्रम संख्या 64 तथा इससे संबंधित प्रविष्टियों के भाव निम्नलिखित रखा जाये :-

पदों का विवरण भर्ती पद्धतियां तथा जिस अनुपात से रिक्तियां भरी जानी हैं

क्रम संख्या	पद का नाम	पद का वर्गीकरण स्वरूप तथा दर्जा	पद का वेतन-मान	सीधी भर्ती द्वारा	पदोन्नति/स्थानान्तरण द्वारा	चयन प्रकरता/योग्यता
-------------	-----------	---------------------------------	----------------	-------------------	-----------------------------	---------------------

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
85	डीजल मैकेनिक सेवा, तृतीय श्रेणी	सामान्य केन्द्रीय	150-5-	..	चयन	100 प्रतिशत	...
	अराजपत्रित, अलि-पिकवर्गीय		175-6-			पदोन्नति द्वारा :	
			205-द० अ०			इसके नं होने पर	
			-7-240			सीधी भर्ती द्वारा	
			रुपये				

सीधी भर्ती के लिए अर्हताएं आदि	परि- वीक्षा- धीन अवधि	पदोन्नति /स्थानान्तरण द्वारा भर्ती के लिए अर्हताएं आदि		
आयु सीमा शैक्षणिक तथा अन्य अर्हताएं	सीधी भर्ती के लिए जो वे ग्रेड / आयु और शैक्षणिक स्त्रोत जिनसे अर्हताएं हैं, क्या वे पदोन्नति/ पदोन्नति/स्थातातरण स्थानान्तरण द्वारा की जाने किया जाना वाले भर्ती के लिए है भी लागू होंगी			
(9)	(10)	(11)	(12)	(13)

27 वर्ष से गिचे	व्यावसायिक धंधों संबंधी राष्ट्रीय प्रशिक्षण परि- षद (श्रम रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय) द्वारा जारी किए गए मैकेनिक इंटरनल काम्ब्रूथन इंजिन के ट्रेड में राष्ट्रीय ट्रेड प्रमाणपत्र या रोजगार तथा प्रशिक्षण महानि- देशालय द्वारा जारी किया गया क्राफ्टमैनशिप का ट्रेड प्रमाणपत्र या रोज- गार तथा प्रशिक्षण महा- निदेशालय द्वारा निर्धारित संबंधित कोर्स कवर करने वाले राज्य सरकार के किसी संस्थान द्वारा मैके- निक (इंटरनल काम्ब्रूथन इंजिन) के ट्रेड में जारी प्रमाण पत्र या किसी प्रसिद्ध कारखाने, फैक्टरी या	2 वर्ष	..	तीन साल की सेवा वाले डीजल इंजन ब्राइवरों में से
--------------------	--	--------	----	--

1	2	3	4	5	6	7	8
66	डीजल इंजन ड्राइवर	सामान्य केन्द्रीय सेवा तृतीय श्रेणी अराजपत्रित अलिपिकवर्गीय	125-3- 131-4- 155 रुपये	100 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा

9	10	11	12	13
---	----	----	----	----

जैनरेटिंग स्टेशन में डीजल इंजन की देखभाल और उसके चलाने का 6 वर्ष का अनुभव जो प्रमाणपत्र द्वारा समर्थित हो ।

27 वर्ष से नीचे व्यावसायिक घंघों संबंधी राष्ट्रीय प्रशिक्षण परिषद (श्रम रोजगार तथा पुनर्वासि) मंत्रालय द्वारा जारी किये गये मैकेनिक (इंटरनल कम्बुशन एंजिन) के ट्रेड में राष्ट्रीय ट्रेड प्रमाण पत्र या रोजगार तथा प्रशिक्षण महानिदेशालय द्वारा जारी किया गया क्राफ्टसमैनशिप का ट्रेड प्रमाणपत्र या रोजगार तथा प्रशिक्षण महानिदेशालय द्वारा निर्धारित संबंधित कोर्स कवर करने वाले राज्य सरकार के किसी संस्थान द्वारा मैकेनिक (इंटरनल कम्बुशन इंजन) के ट्रेड में जारी प्रमाण पत्र या किसी प्रसिद्ध कारखाने फैक्ट्री या जैनरेटिंग स्टेशन में डीजल इंजन की देखभाल और उसके चलाने का 3 वर्ष का अनुभव जो प्रमाण पत्र द्वारा समर्थित हो ।

[सं० 16/20/69-बी० (डी).]
सी० बी० गिरधर, अवर सचिव ।